(11)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 112/2009(आरसीएमएस संख्या : 2009/00112)
सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र श्री धन्ना, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।(मृतक)
   - 1/1 भोलू पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   - 1/2 सुवा पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।(मृतक)
   - 1/3 सूजा पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ पत्नी श्री रूपाराम, जाति–कुम्हार, निवासी–ग्राम–दहमीकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।(मृतक)
   - 1/4 केसर पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ पत्नी ईश्वर, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   - 1/5 मंगली पुत्री स्व0 श्री जगन्नाथ पत्नी श्री भैरूराम, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
2. मांगू पुत्र श्री धन्ना, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।(मृतक)
   - 2/1 श्रवण पुत्र स्व0 श्री मांगू, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।(मृतक)
     - 2/1/1 नारंगी पत्नी स्व0 श्री श्रवण, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील– सांगानेर, जिला–जयपुर।(मृतक)
     - 2/1/2 रामला पुत्र स्व0 श्री श्रवण, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील– सांगानेर, जिला–जयपुर।
     - 2/1/3 लच्छा पुत्र स्व0 श्री श्रवण, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील– सांगानेर, जिला–जयपुर।
     - 2/1/4 नोरतीलाल पुत्र स्व0 श्री श्रवण, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील– सांगानेर, जिला–जयपुर।
   - 2/2 प्रभु पुत्र स्व0 श्री मांगू, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।(मृतक)
   - 2/3 ग्यारसीलाल पुत्र स्व0 श्री मांगू, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   - 2/4 लाडा पुत्री स्व0 श्री मांगू पत्नी श्री बोदूराम, जाति–कुम्हार, निवासी–दहमीकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   - 2/5 भोली पुत्री स्व0 श्री मांगू पत्नी श्री फत्ताराम, जाति–कुम्हार, निवासी–दहमीकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   - 2/6 भूमा पुत्री स्व0 श्री मांगू पत्नी श्री गोविन्दा, जाति–कुम्हार, निवासी–दहमीकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

3. गुलाब पुत्र श्री धन्ना, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।(मृतक)
   3/1 भूरा पुत्र स्व0 श्री गुलाब, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   3/2 सूज्या पुत्र स्व0 श्री गुलाब, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   3/3 रामकरण पुत्र स्व0 श्री गुलाब, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   3/4 भूरी पुत्री स्व0 श्री गुलाब पत्नी श्री रूपनारायण, जाति–कुम्हार, निवासी–सांगानेर, जयपुर।(मृतक)
   3/5 मनफूली पुत्री स्व0 श्री गुलाब पत्नी श्री नाथूराम, जाति–कुम्हार, निवासी–फागी जिला–जयपुर।
   3/6 प्रभाती पुत्री स्व0 श्री गुलाब पत्नी श्री श्रवण, जाति–कुम्हार, निवासी–सांगानेर, जयपुर।(मृतक)
4. काना पुत्र श्री धन्ना, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।(मृतक)
   4/1 पांचू पुत्र स्व0 श्री काना, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   4/2 चौथू पुत्र स्व0 श्री काना, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   4/3 श्रीनारायण पुत्र स्व0 श्री काना, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   4/4 लछमा पुत्री स्व0 श्री काना पत्नी श्री पेमाराम, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरू–कलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
   4/5 नाथी पुत्री स्व0 श्री काना पत्नी श्री काना, जाति–कुम्हार, निवासी–बगरूकलां, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थितिः–

1. पेरोकार सरकार।
2. श्री आर.एन. गुप्ता, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/4 से 1/6 की ओर से वरवक्त बहस अनुपस्थित।
3. श्री संजय वर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 3/1 व 3/3 की ओर से वरवक्त बहस अनुपस्थित।
4. श्री रामदयाल कुमावत, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 2/1/2 से 2/1/4, 2/3 से 2/6 की ओर से वरवक्त बहस अनुपस्थित।
5. श्री अजय कुमार सैनी, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 4/1 से 4/5 की ओर से वरवक्त बहस अनुपस्थित।

जयपुर

13

निर्णय

दिनांक : 26.11.2019

तहसीलदार, सांगानेर द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2010–2030 में ग्राम बगरूकलां की आराजी खसरा नम्बर 3254 रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा मकबूजा ठिकाना काबिल काश्त गै0मु0 किस्म जमीन गैर मुमकिन नला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 3254 रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा में से 1 बीघा 05 बिस्वा जगन्नाथ, मांगू, गुलाब, काना पि0 श्री धन्ना, जाति–कुम्हार हि0 बराबर के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–816 जगन्नाथ, मांगू, गुलाब, काना पुत्र श्री धन्ना, जाति–कुम्हार हि0 बराबर के नाम गैर–खातेदारी दर्ज होकर जमाबन्दी सम्वत् 2037–2040 में जगन्नाथ, मांगू, गुलाब, काना पि0 श्री धन्ना, जाति–कुम्हार हि0 बराबर के नाम गैर–खातेदारी दर्ज है और वर्तमान में हाल खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 5440 रकबा 0.07 हे0, 5441 रकबा 0.02 हे0, 5450 रकबा 0.07 हे0 दर्ज होकर खातेदारी में इन्द्राज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2010–2030 में दर्ज गैर–मुमकीन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को मकबूजा ठिकाना काबिल काश्त गै0मु0 किस्म जमीन गैर–मुमकीन नला दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2010–2030 में ग्राम बगरूकलां की आराजी खसरा नम्बर 3254 रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा मकबूजा ठिकाना काबिल काश्त गै0मु0 किस्म जमीन गैर मुमकिन नला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 3254 रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा में से 1 बीघा 05 बिस्वा जगन्नाथ, मांगू, गुलाब, काना पुत्र श्री धन्ना, जाति–कुम्हार हि0 बराबर के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–816 जगन्नाथ, मांगू, गुलाब, काना पि0 श्री धन्ना, जाति–कुम्हार हि0 बराबर के नाम गैर–खातेदारी दर्ज होकर जमाबन्दी सम्वत् 2037–2040 में जगन्नाथ, मांगू, गुलाब, काना पुत्र श्री धन्ना, जाति–कुम्हार हि0 बराबर के नाम गैर–खातेदारी दर्ज है और वर्तमान में हाल खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 5440 रकबा 0.07 हे0, 5441 रकबा 0.02 हे0, 5450 रकबा 0.07 हे0 दर्ज होकर खातेदारी में इन्द्राज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2010–2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी

जयपुर

14

खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 3452 रकबा 01 बीधा 05 बिस्वा वाके ग्राम बगरूकलां दिनांक 27.04.1976 को आवन्टन किया गया हैं। जिसका उल्लेख नामान्तरकरण सं0–816 के कॉलम सं0–14 पर हैं, नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–2030 में यह आराजी गैर–मुमकिन नला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन दिनांक 27.04.1976 को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन नला की आराजी को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारंभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर ग्राम बगरूकलां की आराजी खसरा नम्बर 3452 रकबा 1 बीधा 05 बिस्वा आवंटित की गई जिसके हाल खसरा नम्बर 5440 रकबा 0.07 हे0, 5441 रकबा 0.02 हे0, 5450 रकबा 0.07 हे0 हैं, को वापिस मकबूजा ठिकाना काबिल काश्त गै0मु0 किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमनें विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2010–2030 ग्राम बगरूकलां की आराजी खसरा नम्बर 3254 रकबा 8 बीधा 04 बिस्वा मकबूजा ठिकाना काबिल काश्त गै0मु0 किस्म जमीन गैर–मुमकिन नला दर्ज है, इसके पश्चात् आराजी ख0नं0 3254/4820 रकबा 1 बीधा 05 बिस्वा जगन्नाथ,

जयपुर

15

मांगू, गुलाब, काना पि0 श्री धन्ना, जाति–कुम्हार हि0 बराबर के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–816 जगन्नाथ, मांगू, गुलाब, काना पि0 श्री धन्ना, जाति–कुम्हार हि0 बराबर के नाम गैर–खातेदारी तथा भू–प्रबन्ध होने के पश्चात् आवंटित खसरे के नये नम्बर 5440 रकबा 0.07 हे0, 5441 रकबा 0.02 हे0, 5450 रकबा 0.07 हे0 दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2010–2030 में दर्ज गैर–मुमकिन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन तिथि को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन नला दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2010–2030 से होती है और इस आराजी का आवंटन जगन्नाथ, मांगू, गुलाब, काना पुत्र श्री धन्ना, जाति–कुम्हार हि0 बराबर को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–816 ग्राम–बगरूकलां से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार मकबूजा ठिकाना काबिल काश्त गै0मु0 किस्म जमीन गैर–मुमकीन नला की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नला भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन नला भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, सांगानेर

जयपुर

द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 आराजी खं0नं0 3254 रकबा 1 बीधा 05 बिस्वा आवंटित भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 5440 रकबा 0.07 हे0, 5441 रकबा 0.02 हे0, 5450 रकबा 0.07 हे0 निजी खातेदारी में दर्ज हैं, को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस मकबूजा ठिकाना काबिल काश्त गै0मु0 किस्म जमीन गैर–मुमकीन नला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 28.01.2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 26.11.2019 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर